

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 226)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी वाद संख्या 33/2023 सुमेरमल बनाम भंवर सिंह 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-09-2024	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी की ओर जवाब प्रार्थनापत्र बाबत् लिए जाने शपथपत्र को अभिलेख पर, का प्रस्तुत किया गया। वादी के प्रार्थनापत्र बाबत लिए जाने शपथपत्र को अभिलेख पर, पर उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से यह बताया गया कि सहवन से गवाह कैलाश जांगिड और सोहनलाल के शपथपत्रों को दिनांक 09-09-2024 को तहत करवाए बिना ही पेश कर दिया गया था, इसलिए दिनांक 25-09-2024 को प्रार्थनापत्र के साथ तस्दीकशुदा शपथपत्र प्रस्तुत कर अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन किया गया। वादी के प्रार्थनापत्र का प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह एतराज किया गया कि कमी पूर्ति करने के लिए शपथपत्रों को अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता है और नये शपथपत्र प्रस्तुत किए नहीं जा सकते हैं तथा पुरानों को साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता है। इस सम्बंध में उभय पक्ष को सुननेतथा पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सहवन से वादी के गवाह कैलाश जांगिड व सोहनलाल के शपथपत्र बिना तस्दीक करवाए पेश कर दिए जाने से प्रार्थनापत्र के साथ तस्दीकशुदा शपथपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अत्यधिक तकनीकी कारणों से किसी पक्ष को न्याय से वंचित करना उचित नहीं है। न्याय के उद्देश्य के प्रयोजन के पूर्ति के लिए वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् लिए जाने शपथपत्र को अभिलेख पर,को स्वीकार कर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत तस्दीकशुदा शपथपत्र, जो कि कैलाश जांगिड व सोहनलाल के हैं, उन्हें अभिलेख पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी आगामी दिनांक को आवश्यकत रूप से जरिये करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 16-10-2024 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी इजराय संख्या 21/2024 2 सी.आई.एस.नंबरा 01/2023 श्रीमती कांता बनाम कालूराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी इजराय संख्या 21/2024 3 सी.आई.एस.नंबरा 01/2023 श्रीमती कांता बनाम कालूराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए